

ट्रेवल एजेंसी / टूर ऑपरेटर को मान्यता प्रदान एवं अवधि विस्तार हेतु वांछित अभिलेख :-

1	जमीन के निबंधन / लीज / किराया एकरारनामा से संबंधित कागजात की छायाप्रति
2	दुकान एवं प्रतिष्ठान अधीनियम के तहत रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र
3	संचालक का सचित्र पहचान पत्र पूरे पते के साथ
4	1000 (एक हजार ) रुपये की डी० डी० निदेशक, पर्यटन, बिहार के पदनाम से (शुल्क के रूप में)
5	किसी प्रकार के कानूनी कार्रवाई / मुकदमा लंबित नहीं रहने से संबंधित शपथ पत्र
6	आयकर विवरणी विगत 03 (तीन) वर्षों की
7	पर्यटकों के दिए जाने वाली सुविधाओं की विवरणी (उदहारण स्वरूप - टूर पैकेज, कार रेन्टल इत्यादि)